बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0–13 / स्था0–02–40 / 2026 / पटना / दिनांक –

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा के पत्रांक 2225 दिनांक 07.08.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री महेश कुमार (जे0 11793), कनीय अभियंता (असै0), सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर को उनके प्रथम संतान के जन्म के फलस्वरूप दिनांक 02.07.2026 से 16.07.2026 तक (कुल–15 दिन) को वित्त विभाग के पत्रांक–9889 दिनांक 01.12.2015 में निहित प्रावधानों के तहत पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश की प्रविष्टि HRMS Portal एवं सेवापुस्त में कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना / दिनांक –

प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना / दिनांक –

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा को उनके पत्रांक 2225 दिनांक 07.08.2026 के क्रम में / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर / श्री महेश कुमार (जे0 11793), कनीय अभियंता (असै0), सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – 5967 पटना / दिनांक – 12/10/2026

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

M.Q.A.S 08/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।

##Aadesh-2026, Sec-13, Sys-2